उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 195 वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2006 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 195 वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री चितरंजन स्वरूप	अध्यक्ष, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2.	श्री के0एल0मीना	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार गुप्ता	सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	श्री एम0ए0ए0खान	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
5.	श्री एम0एम0खान	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन।	सदस्य
6.	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य
7.	श्री राज कुमार गर्ग	उप निदेशक, प्रतिनिधि निदेशक सी0बी0आर0आई0,रुड़की।	सदस्य
8.	श्री राम सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ जोन, प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम।	सदस्य
9.	श्री एस0बी0 दफ्तरदार	वरिष्ठ ग्राम्य नियोजक प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ,उ0प्र0 लखनऊ	
10.	श्री एस0एन0 राम	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्री

11	श्री एच0डी0सिंह	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
12	श्री सी0एन0हर्डे	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद

बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
195/1	परिषद की 194वीं बैठक दिनांक 29.07.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 194 वीं बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया, जिसकी पुष्टि की गयी।
195/2	परिषद की 194वीं बैठक दिनांक 29.07.2006 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। सामुदायिक क्लब (Community Club) के स्थान पर बहु सुविधा केन्द्र (Multi Facilities Centre) नाम रखने का निर्णय लिया गया।

सहकारिता अनुभाग

195/3	उ0प्र0सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ की पूर्वी विहार आवासीय योजना की समस्त भूमि परिषद को हस्तान्तरित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

195/4	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के संबंध में माननीय परिषद की 193वीं बैठक के मद संख्या 193/14 एवं 193/58 दिनांक 29.5.06 में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
195/5	भूमि विवाद समाधान समिति की तेरहवीं बैठक के क्रमांक 3 व 4 के मद संख्या 1 व 2 में योजना संख्या–6, मेरठ ग्राम औरंगशाहपुर डिग्गी के खसरा संख्या 379 व 406/1 /2 के संबंध में।	पूर्व में समाधान समिति का निर्णय विकास शुल्क लेकर भूखण्ड आवंटित करने का है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बेटरमेन्ट चार्ज लेकर भूखण्ड आवंटित किया जाये, के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की जाय, एस.एल.पी. में स्थगन आदेश प्राप्त न होने की स्थित में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन की कार्यवाही की जाये।

195/6	वृन्दावन योजना संख्या–2, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेटिया के खसरा संख्या 550 की 125 x 45 वर्ग फुट भूमि को योजना में समायोजित/अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।	इस निर्देश के साथ स्थगित किया गया कि मुख्य अभियन्ता से भूखण्ड की स्थिति व योजना पर भूखण्ड छोड़े जाने के प्रभाव की विस्तृत जांच कराकर आख्या प्रस्तुत की जाये।
195/7	परिषद की इटावा योजना संख्या–1 में अधिगृहीत भूमि खसरा संख्या–311 में से श्री राम नरेश यादव को 500 वर्गमीटर भूमि आबंटन के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 311 में 210 वर्ग मीटर खाली तथा 290 वर्ग मी0 भूमि जिसपर खण्डहर स्थित है (कुल 500 वर्ग मी0) पर स्वामित्व का वाद समाप्त /वापस होने पर ले आउट में प्राविधानित व्यवसायिक को आवासीय में परिवर्तन करते हुए भूस्वामी को वर्तमान आवासीय दर पर आवंटित कर दी जाये।

प्रशासन अनुभाग

195/8	वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक के पद पर वास्तुविद नियोजकों से प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
195/9	लेखा संवर्ग में लेखाकार/कनिष्ठ लेखाधिकारी को संशोधित वेतनमान के साथ दिनांक 1.1.86 से एरियर अनुमन्य कराए जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु प्रकरण की पूर्ण स्थिति अवगत कराते हुए शासन का मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।
195/10	श्री एम0एल0 खत्री, अधिशासी अभियंता द्वारा आदेश संख्या 1076/सतर्कता दिनांक 30.09.2004 द्वारा प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	विचारोपरान्त अपील स्वीकार की गयी।
195/11	श्री कामेश्वर प्रसाद यादव, अवर अभियंता के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
195/12	श्री एच0आर0मिश्रा, अधिशासी अभियंता, संप्रति अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश संख्या 221/सतर्कता दिनांक 28.2.2004 द्वारा प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया

195/13	श्री कृपा शंकर, सहायक अभियंता द्वारा आदेश संख्या 77/सतर्कता–54/03 (1658) दिनांक 30.05.2005 में पारित दाण्डादेश में दिए गए दण्डों को समाप्त किए जाने हेतु अपील के संबंध में।	विचारोपरान्त प्रर्याप्त आधार न होने के कारण अपील निरस्त की गयी।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

195/14	परिषद में इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत शासनादेशों का अंगीकरण व प्रक्रिया का निर्धारण।	इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम का अंगीकरण तथा बडे भूखण्डो की नीलामी की प्रक्रिया एवं नियम व शर्तो के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
195/15	परिषद में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं एवं सेन्ट्रल गवर्नमेंट/ स्टेट गवर्नमेंट के employee welfare societies को बल्क सेल के माध्यम से भूमि दिए जाने की प्रकिया।	केवल केन्द्रीय एंव राज्यकीय शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग एंव ऐसे सर्वजनिक संस्था जो राज्य सरकार के आधीन हो के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
195/16	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड संख्या 12/625 तथा 12/625/1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौड़ी सड़क का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना।	अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि चूंकि भू उपयोग परिवर्तन की Monitoring मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है अतः इसकी स्वीकृत शासन से प्राप्त कर ली जाये।

लेखा अनुभाग

195/17	परिषद की योजनाओं में आबंटित आवासीय संपत्तियों पर ली जाने वाली ब्याज दर को भारतीय स्टेट बैंक के समान निर्धारित किए जाने के संबंध में।	निर्देश दिये गये की प्रस्तावित दर से ब्याज लिये जाने पर रू0 75 हजार तक , 3 लाख तक, एंव रू0 3 लाख से अधिक पर वर्तमान में वास्तविक ब्याज का परीक्षण कर ब्याज आगणन की प्रक्रिया के साथ विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

195/18	वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 6बी/62 में दो प्रतिशत की छूट के संबंध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि अन्य प्रकरणों में इसको दृष्टान्त नही माना जायेगा।
195/19	मंगल पाण्डे नगर योजना संख्या–1, मेरठ में आबंटित एसएफएस भवन संख्या 657/2 के विरुद्ध	पुर्न जीवन शुल्क व विलम्ब शुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ माफ किया

	देय धनराशि का पन्द्रह वर्षों की किश्तों में किए जाने के संबंध में।	गया कि आवंटी 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराके अवशेष धनराशि 5 वर्ष की सब्याज किश्तो में जमा करेंगे।
195/20	आवासीय भूखण्ड संख्या 2डी/274 योजना संख्या–2 हंसपुरम, कानपुर का विलम्ब शुल्क माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि विलम्ब शुल्क माफ किये जाने सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियो का परीक्षण कर युक्त–युक्त प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
195/21	संजय विहार योजना संख्या–2 हापुड़ में आबंटित भूखण्ड संख्या बी–97 के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क के संबंध में।	50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क माफ किये जाने का निर्णय लिया गया।
195/22	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–2 में स्थित नर्सिंग होम भू0सं0–एन0 एच0–2/1 पर निर्माण हेतु दिनांक 07.01.07 तक समय वृद्धि दिए जाने पर आरोपित अनिर्माण शुल्क पुनर्जीवन शुल्क को माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
195/23	परिषद की राजाजीपुरम योजना में श्री मनोहर प्रसाद को आबंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 17/सी0पी0–1001 क्षेत्रफल–77.21 वर्गमीटर के मूल्य लिए जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि दिनांक 29.11.2001 के आरक्षित व्यवसायिक दर पर उक्त तिथि से अध्यावधिक ब्याज लेते हुए भूखण्ड आवंटित किया जाय।
195/24	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 12/269 के डिप्रीसिएटेड मूल्य रू0 64,800.00 निर्णय के अनुसार किश्तें निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में आवास आयुक्त के निर्णय के अनुसार प्रदेशन पत्र जारी न करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

लेखा अनुभाग

195/25	परिषद में अलोकप्रिय एवं अवशेष संपत्तियों के मूल्यांकन/निस्तारण, परियोजनाओं की फाइनेन्सियल वायबेलिटी, आवासीय क्षेत्र में ज्वाइंट वेंचर की संभावनाओं, परिषद योजनाओं में पब्लिक डवलपर्स की भूमिका तथा नए आयामों के संबंध में परामर्श देने हेतु एवं परिषद में चल रहे वादों, माननीय न्यायालयों	दोनो विशेषज्ञ सलाहकारो के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह निर्देश दिये गये कि राजस्व मामले के जानकार एंव अनुभवी अधिकारी को साल–साल भर के लिए आवश्यकता अनुसार सांविदा के

	में लम्बित वादों, अवमानना वादों के अनुश्रवण एवं परामर्श प्राप्त करने हेतु एक–एक विशेषज्ञ की सेवाएं रिटेनर शिप बेसिस पर लिए जाने के संबंध में टिप्पणी।	आधार पर पूर्णकालिक रूप में रखा जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

195/26	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की धौरूपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना मिर्जापुर के धारा–31(1) के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
195/27	परिषद की हरदोई रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–4 शाहजहॉपुर में मैसर्स जी0एस0 डाइस इण्डस्ट्रीज, शाहजहॉपुर के खसरा संख्या 363 की भूमि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि खसरा सं0 363 के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2003 द्वारा जारी आदेश को पुर्नविचार कर निरस्त किये जानें अथवा प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 363 क्षे0 1.736 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

195/28	सिकन्दरा योजना के सेक्टर–16 ए में माननीय विधायक श्री प्रताप चौधरी को आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 16ए/301 के स्थान पर सेक्टर–4 में मिक्स लैण्ड यूज पर भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
195/29	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में रिक्त आवासीय संपत्तियों को मा0 सांसद/मा0 विधायक के मध्य आबंटित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि भूखण्डो का आवंटन नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि विस्थापितो को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में 3 माह में प्रस्ताव रखा जाये।

195/30	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या बी–1833/1 का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित किया जाना।	प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाये।
195/31	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित भूखण्ड संख्या 6/जीएच–1 के साथ लगी वेजिटेबल भूखण्डों की भूमि को प्रश्नगत भूखण्ड के आबंटी जनहितकारी सहकारी समिति के पक्ष में आबंटित किए जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि पहले समिति से पूर्व में निर्धारित कम्पाउडिंग शुल्क परिषद खाते में जमा कराया जाये तथा आवंटित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण के समय नियुक्त अभियन्ताओं की जिम्मेदारी निर्धारित करायी जाये, तदोपरान्त प्रस्ताव परिषद के समक्ष लाया जाये।
195/32	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	–

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(डॉ एम0ए0ए0खान)
आवास आयुक्त

(चितरजन स्वरूप)
अध्यक्ष